संख्या-179/2018/2578/26-3-2018-2(सी.पी.एल.)/2011

प्रेषक,

सतीश कुमार
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 21 अगस्त 2018

विषय:- **अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सी0पी0एल0 प्रशिक्षण कोर्स हेतु श्री आयुष गौतम को कार्मशियल पाइलेट लाइसेन्स कोर्स हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1657/स.क./शिक्षा-अ/ 04/128/2018-19, दिनांक-01.08.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कार्मशियल पाइलेट लाइसेन्स प्रशिक्षण कोर्स हेतु श्री आयुष गौतम को डी.जी.सी.ए. की लिखित परीक्षा यथा-(Air navigation, Air regulations aviation meteorology, Tech General and Tech specific papers.) उत्तीर्ण करने के उपरान्त छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की द्वितीय किश्त की 33 प्रतिशत देय धनराशि **रूपया-10,72,500/- (रूपया दस लाख बहत्तर हजार पांच सौ मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-80 में योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत करके आपके निर्वतन पर रखी गयी हैं, से भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च 2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय

सतीश कुमार
अनुसचिव

पृ0संख्या-179 /2018/2578(1)/26-3-2018-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेरेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5. सम्बन्धित छात्र
6. गार्डफाइल।

आज्ञा से

सतीश कुमार
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।